राहत कैम्प में पहले से लाभ ले रहे लोगों को परेशान कर रही है सरकार : राठौड़

बजरंग दल पर बैन लगने के प्रश्न पर राड़ौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री की हिम्मत हो तो राजस्थान में बजरंग दल को बैन करके दिखाये

जालोर/सायला, (कासं)। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि महंगाई राहत कैम्प के बैनर व होर्डिंग्स में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का फोटो छापा जा रहा है। यह कैम्प सरकार का है कि कांग्रेस पार्टी का, महंगाई राहत कैम्प के नाम पर पहले से लाभ रहे लोगों को कतारे में लगाकर परेशान किया जा रहा है। सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल होटलों में सरकार बचाने में गंवाया है तथा चुनाव नजदीक आने पर सरकार को राहत देने की बात याद है। यह केवल चुनावी घोषणाएं से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे है। लेकिन जनता सब जानती है आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका सबक सिखायेगी। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेन्द्र राठौड़ सोमवार को जालोर के ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आबूरोड़ दौरे को लेकर राठौड जालोर पहुंचे, जहां भाजपा के अलग-अलग मंडलों की बैठक लेने के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए।

राठौड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले बजट को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार काफी कर्जा ले चुकी है। कांग्रेस सरकार ने केवल चुनावी घोषणाएं की है। घोषणा पूरी होने वाली नही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार को गिराने में केन्द्रीय मंत्रियों की भूमिका थी। पैसे लोटाने की बात कह रहे है। गृह, वित्त, पुलिस स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। यदि उनके पास कोई सबूत होते जनता के सामने लगाये। उनकी सरकार संकट में आई थी। तब दो दो होटलों में पूरी सरकार बंद थी, एक मानेसर में व दूसरे जैसलमेर में। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल सरकार बचाने में गवा चुके है। उनके स्वयं के लोग उनकी खिलाफत करते है। सरकार गिराने के दरम्यिान चार एफआईआर दर्ज की गई थी।

चारों एफआईआर में आरोप लगाया था कि पैसों का लेनदेन हुआ है। पुलिस उनकी है, कार्यवाही क्यों नहीं की। वही राजे से बात हुई है उसका कोई प्रमाण है हमारे नेताओं पर आक्षेप

- **नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेन्द्र राठौड़ ने पत्रकारों को संबोधित किया**

लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। राठौड़ ने कहा कि आलाकमान का दूत बनकर आये पदाधिकारियों को उनके मंत्री ठेंगा दिखा गये। त्याग पत्र को लेकर मौन धारण किये हुए है। उनके गृह जिले में कई बार साम्प्रदायिक माहौल खराब हुआ।

बजरंग दल पर बैन लगने के प्रश्न पर कहा कि मुख्यमंत्री की हिम्मत हो तो राजस्थान में बजरंग दल को बैन करके दिखाये। महंगाई राहत कैम्प में गैस की टंकी पर पांच सौ रूपये की सब्सिडी देने के प्रश्न पर कहा कि यह केवल थोथी घोषणा की जा रही है। गैस टंकी एक बार मिलेगी फिर बंद हो जायेगी। केवल चुनावी वर्ष के चलते लोगो का बेवकुफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जालौर में सरकारी धन की लूट मची हुई है, विकास के नाम पर यहां लूट की जा रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जिस प्रकार से कलंकित करने का आरोप लगाया गया है, वे बेबुनियाद है। अगर गहलोत के पास कोई प्रमाण है तो वो इस संबंधित मामला दर्ज करवाएं। इस दौरान जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव, आहोर के पूर्व विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित मौजूद थे।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आबूरोड़ दौरे के निमित भाजपा विधानसभा क्षेत्र जालोर के सायला, पोषाणा व जीवाणा मंडल की बैठक का राजस्थान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड के मुख्य आतिथ्य एवं जिला संगठन प्रभारी महेंद्र बोहरा, जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव व जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग की उपस्थिति में जैन धर्मशाला पोषाणा में आयोजन हुआ। बैठक में राजेंद्र राठौड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले आबूरोड में जनता से वादा किया था कि वो शीघ्र ही आबूरोड में जनता से मिलने आएंगे। इसी वादे को निभाने के लिए प्रधानमंत्री आबूरोड आ रहे है।

जिला प्रभारी महेंद्र बोहरा ने कहा कि 10 मई को आबूरोड की जनसभा में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को लेकर जाना है। राज्य की भ्रष्ट निक्कमी सरकार के खिलाड़ लोगो में भारी आक्रोश है। महामंत्री रमेश गर्ग पोषाणा ने सभी आगन्तुक कार्यकर्ताओं का व श्री जैन संघ का आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित, खेमराज देसाई, जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित, हरीश राणावत, भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्रसिंह सिसोदिया, दीपसिंह धनानी, मंजू सोलंकी, भुरसिह देवकी, सुशील सेन, डिम्पलसिह चौहान, डॉ. मंजू मेघवाल, शंकर भादरू, बजरंगसिंह राठौड, वरदसिंह पांथेडी, सायला अध्यक्ष नैनमल लखारा, पोषाणा अध्यक्ष उदयसिंह दादाल, दीपक राव सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।

खड़े ट्रक को पीछे से सवारी गाड़ी ने टक्कर मारी, चार की मौत

पाली, (निसं)। आबूरोड में पाली की सवारी गाड़ी के भीषण हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर चार हो गया है। हादसा सिरोही के आबू रोड रीको थाना क्षेत्र में चंद्रावती कट के पास हुआ। यहां सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से सवारी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त गाड़ी में दो परिवार के कुल 12 लोग सवार थे। इनमें से चार की मौत हो गई। दो लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हुई थी और दो की उपचार के दौरान मौत हो गई। आठ लोगो का उपचार जारी है।

रीको थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि हादसे में तलसाराम (60) पुत्र बालु निवासी मानपुरा भाकरी और शनु (35) पत्नी कालु निवासी मानपुरा भाकरी की मौके पर ही मौत हो गई।

- **आठ लोगों का उपचार जारी है, सभी लोग पाली के मानपुर भाकरी के रहने वाले हैं**

वहीं, पिक्की (40) पत्नी सुरेश और बुदाराम (48) पुत्र पुनाराम की जिला अस्पताल ले जाते मौत हो गई। वहीं हादसे में चम्बा बैन (40) पत्नी भूराराम, कल्या (35) पत्नी लक्ष्मण, कमला (40) पत्नी मांगीलाल, इंद्रा (30) पत्नी बगदाराम, प्यारी देवी (50) पत्नी कुनाराम, सुकी बाई (60) पत्नी शिवजी, बाबूराम (48) पुत्र सवाराम (ड्राइवर), लक्ष्मण (50) पुत्र बुदाराम ड्राइवर समेत घायल 10 लोगों आबूरोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया सभी लोग पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में मानपुर भाकरी के रहने वाले है। हादसे के बाद घायलों और मृतक परिवार के सदस्य भी सिरोही पहुंचे।

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

सूरतगढ़, (निसं)। सर्किल के राजियासर पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। यही नहीं थाना में दिए गए परिवाद में आरोपियों पर दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया गया है। मामला करीब छह महीने पुराना है जिसका वीडियो अब सामने आने पर राजियासर थाना में परिजनों की ओर से तीन युवकों व एक महिला के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी साढ़े 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ रज्जाक, अंग्रेज खान और तालब हुसैन ने दुष्कर्म किया।

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

No.:F-2(01)Acct/Contract/2023-24/35-37 Date: 05-05-2023

ई-निविदा सूचना संख्या : 07/2023-24

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रूपये 263.12 लाख (11 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	:	09-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे से 19-05-2023 को सांय : 6.00 बजे तक
Online EMD Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	09-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे से 19-05-2023 को सांय : 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	23-05-2023 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN: ITU2324WSOB00079, ITU2324WSOB00080, ITU2324WSOB00081, ITU2324WSOB00082, ITU2324WSOB00083, ITU2324WSOB00084, ITU2324WSOB00085, ITU2324WSOB00086, ITU2324WSOB00087, ITU2324WSOB00088, ITU2324WSOB00089

अधिशाषी अभियन्ता-प्रथम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्ररूप-10 (नियम 6(7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, सांभर लेक

क्रमांक-नपासा/2023/420 **लोक सूचना** दिनांक-08.05.2023

श्रीमती सुशीला वर्मा पत्नी श्री राम कृष्ण वर्मा जाति कुमावत निवासी जानकी विहार कॉलोनी, कॉलेज रोड, सांभर लेक तहसील फुलेरा जिला जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये भू उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	सांभर लेक	2541/2522	कुल रकबा 0.1391 हैक्टयर	रकबा 0.1391 हैक्टयर भूमि को आवासीय में रूपान्तरण हेतु।

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोगार्थ (आवासीय भू-रूपान्तरण) हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 08.05.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका मण्डल सांभर लेक

'उपचुनावों के परिणामों ने साबित किया कि गहलोत सरकार की उलटी गिनती शुरू'

चुनाव परिणाम से साबित हुआ की जनता ने कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार व जंगलराज के विरूद्ध बिगुल बजा दिया : सी.पी. जोशी

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर हुए नगर निकाय उपचुनाव में विजयी भाजपा प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी और मतदाताओं का सहृदय आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा राजस्थान में भाजपा पर जनता का विश्वास फिर से साबित हो रहा है। कांग्रेस शासन की गैर वाजिब नीतियों व अंदरूनी कलह ने एक बार फिर से सरकार की पोल खोलकर रख दी है। राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का विजन पर अब अन्य राज्यों के बाद राजस्थान की जनता भी ठप्पा लगाना चाहती है। यही कारण है कि इन चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है।

- **'निकाय उपचुनावों में भाजपा का परचम मोदीजी के विकास की राह पर राजस्थान का मतदाता'**
- **'राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है'**
- **निकाय उपचुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, अकेली भाजपा को 8 सीटों पर विजय मिली है**

सी.पी. जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही कितने ही वादे और दावे करें, लेकिन वास्तविकता अब साफ नजर आने लगी है। अब तक वे अपनी जिस जादूगरी के दम पर सरकार वापसी की बातें कह रहे हैं, वे फेल होती नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से ही नहीं उभर पा रही है। ऐसे में राजस्थान का विकास ठप पड़ा है, सरकार अपनी कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त है। साफ लग रहा है कि उनकी बातें और जादूगरी केवल बातें ही हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। नगर निकाय उपचुनावों के परिणामों ने साबित कर दिया गहलोत सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है। निकाय उपचुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, कुल 14 सीटों में से अकेली भाजपा को 8 सीटों पर विजय मिली है, कांग्रेस मात्र चार सीटों पर ही सिमट गई। यह 2023 के विधानसभा चुनावों का रूझान है।

जोशी ने कहा कांग्रेस के मौजूदा कार्यकाल में आमजन त्रस्त है। ऐसे में राजस्थान के मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास जताया है। एक बार फिर से लोग राजस्थान को विकास की राह पर आगे बढ़ते देखना चाहते है। भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगलराज जैसी बातों से लोगों का मन अब ऊब चुका है। आमजन सहज, सरल और ईमानदार सरकार चाहता हैं। आमजन का कहना है कि भाजपा में लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को चयन और पदभार दिया जाता है, वहीं कांग्रेस में परिवारवाद घर कर चुका है।

सुजानगढ़ के पार्षद उपचुनाव में कांग्रेस चार नम्बर पर फिसली

निर्दलीय रेवन्तमल ने भाजपा के प्रत्याशी को हराया

सुजानगढ़, (निसं)। वार्ड 47 में पार्षद पद के लिए हुए चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े रेवन्तमल पंवार ने भाजपा के प्रत्याशी गंगाधर लाखन को 256 मतों से हराकर विजय हासिल की। रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूणियां ने बताया किचुनाव में निर्दलीय रेवन्तमल पंवार को 458, भाजपा के गंगाधर लाखन को 202, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रतनलाल नायक को 190, कांग्रेस की पुष्पादेवी को 181, निर्दलीय अरविन्द सामरिया को 70 मत मिले हैं तथा सात जनों ने नोटा को पसंद किया है।

मतगणना के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूणियां ने नवनिर्वाचित पार्षद रेवन्त पंवार को शपथ दिलाई तथा विजयी प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान तहसीलदार प्रवीण कुमार, पुलिस उपाधीक्षक रामप्रताप विश्नोई उपस्थित रहे। इसके बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित पार्षद रेवन्त पंवार को उनके घर छोड़ा। वार्ड 47 में हुए उपचुनाव में भाजपा के हारने की चर्चा रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वार्ड 47 कट्टर भाजपा वार्ड माना जाता है। यहां से भाजपा के हारने का कारण भाजपा के नेताओं द्वारा प्रत्याशी का गलत चयन होने का कारण बता रहे हैं। वहीं सत्ता में आसीन कांग्रेस पार्टी के चौथे नम्बर की चर्चा भी खूब गर्म रही। नगरपरिषद की सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी सहित कांग्रेस के तीस से ज्यादा पार्षदों की लंबी फौज कांग्रेस को दूसरे स्थान पर नहीं ला पाई। वहीं आरएलपी वार्ड के उपचुनाव में तीसरे नम्बर पर रही। आरएलपी के तीसरे नम्बर पर आने पर लोगों का कहना है कि आरएलपी शहर में भी अब

- **भाजपा की हार व कांग्रेस को चार नम्बर पर धकलने की रही चर्चा**
- **आर.एल.पी. वार्ड के उपचुनाव में तीसरे नम्बर पर रही**

भाजपा-कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा रही है। पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप के कांग्रेस छोड आरएलपी में जाने के कारण कांग्रेस को चौथे नम्बर पर जाना पड़ा। कई लोग इस हार का कारण सुजला जिला नहीं बनाने को भी मान रहे हैं। लेकिन वार्डवासियों का कहना है कि रेवन्तमल वार्ड के सबसे प्रसिद्ध प्रत्याशियों में से एक थे। जिन्होंने भाजपा से टिकट मांगी थी। लेकिन भाजपा ने टिकट काट दी थी। जिस कारण उनके साथ वार्डवासियों की भावना और जुड गयी। रेवन्तमल ने कहा कि वार्ड की जनता ने उन्हें नगरपरिषद की टिकट देकर भेज दिया है। अब वे वार्ड में विकास कार्य करवाने का प्रयास करेंगे।

योजना का शुभारंभ 10.05.2023	वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लिमिटेड	आवेदन की अंतिम तिथि 24.05.2023

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए भूखण्डों का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना

परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा तथा आवंटन दर प्रति वर्गमीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दि. 16.09.2019 के अनुसार रहेगी। सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये) निम्नानुसार है।

क्र. सं.	योजना व ग्राम का नाम	रेरा क्रमांक	जोन संख्या	आरक्षित दर रू. प्रति वर्गमीटर	45 वर्गमीटर तक के भूखण्डों की संख्या	45-75 वर्गमीटर तक के भूखण्डों की संख्या
1	वी.आर.बी. स्पार्कल ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला	RAJ/P/2023/2372 (rera.rajasthan.gov.in)	11	6000	41	42
					EWS-A	LIG-B
2	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये में)				3,00,000 तक	3,00,001 से 6,00,000 तक
3	आवंटन दर प्रति वर्गमीटर				आरक्षित दर का 50% दर पर	आरक्षित दर का 80% दर पर
4	पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)				10,000/-	20,000/-
5	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन				दिनांक 26.05.2023	
6	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाइट, कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि				दिनांक 29.05.2023 से दि. 30.05.2023 तक	
7	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की दिनांक				दिनांक 01.06.2023	
8	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय के प्रकाशन की दिनांक				दिनांक 05.06.2023	
9	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान				दिनांक 07.06.2023 समय दोपहर 2 बजे से, कार्यालय प्लॉट नं. 29, क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे, मान्यावास, मानसरोवर जयपुर	

नोट: योजना से संबंधित अधिक जानकारी नियम व शर्ते आवेदन फार्म इत्यादि वेबसाइट http://vrbamb.arustupvt.com या कार्यालय प्लाट नं. 29, श्रीराम विहार विस्तार, बाबा क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे, मान्यावास मानसरोवर, जयपुर से प्राप्त की जा सकती है। विकासकर्ता

उत्तर पश्चिम रेलवे G20 **शुद्धि-पत्र**

इस कार्यालय द्वारा ज्ञापित खुली **निविदा सूचना संख्याः जीएसयू-जेपी-ईल-एबीएसएस-2023-24-04 (NIT-26.04.2023)** जो कि दिनांक 22.05.2023 को खोली जानी है में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं:- **कार्य का नाम** : टीआरडी वर्क इन कनेक्शन विथ प्रपोज्ड एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) एण्ड/ऑर हाई लेवल प्लेटफार्म्स् एट रेवाड़ी, खैरथल, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई, दौसा, आसलपुर जोबनेर, फुलेरा, नरैना, नीम का थाना, रींगस, सीकर एण्ड झुन्झुनु स्टेशनस् ऑवर जयपुर डीविजन अण्डर अमृत भारत स्टेशन स्कीम।

क्रम संख्या	पूर्व में जारी विज्ञप्ति (NIT-26.04.2023)	संशोधित विज्ञप्ति	विवरण
1.	कार्य पूर्ण होने की अवधि - 08 माह	कार्य पूर्ण होने की संशोधित अवधि - 05 माह	कार्य पूर्ण होने की अवधि को IREPS पर अपडेट कर दिया गया है।
2.	स्पेशल कंडीशन ऑफ कान्ट्रेक्ट	स्पेशल कंडीशन ऑफ कान्ट्रेक्ट के पैरा **"B"** के **आइटम नं. -12.0 एवं 13.0** में संशोधन किया गया है।	संशोधित स्पेशल कंडीशन ऑफ कान्ट्रेक्ट डाक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर (टीआरडी एंड जीएसयू)-जयपुर

490-DG/23

'दुनिया में बढ़ रही है आयुर्वेद की महत्ता'

जयपुर, (का.सं.)। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि दुनियाभर में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की महत्ता बढ़ रही है। कोरोना जैसी आपदा के बाद पूरी दुनिया ने इस पद्धति की उपयोगिता को समझ लिया है। अब आयुर्वेद को भी बदले समय के अनुरूप में वैज्ञानिक शोध और क्लीनिकल ट्रायल पर जोर देना चाहिए। शेखावत सोमवार को जामडोली के केशव विद्यापीठ में नवनिर्मित आयुर्वेदिक अस्पताल और पंचकर्म केन्द्र के उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथ के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अस्पताल का संचालन भगवान लाल रामलाल रावत इंडोस्विस चेरिटेबल अस्पताल की ओर से किया जा रहा है।

- **केशव विद्यापीठ जामडोली में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री ने आयुर्वेदिक अस्पताल और पंचकर्म केन्द्र का उद्घाटन किया**

उन्होंने कहा कि भारत की सदियों पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अब पूरे विश्व में फिर से प्रसिद्ध हो रही है। हमारे ऋषियों के अनुभूत ज्ञान से उत्पन्न इस चिकित्सा परम्परा का कालांतर में राज्याश्रय नहीं मिलने के कारण पराभव हो गया था। बाद में 800 साल के गुलामी के दौर में भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शेखावत ने कहा कि अंग्रेजों के समय एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम प्रचलित हो गया। इस कारण धीरे-धीरे यह अलोकप्रिय हो गई। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरीके की प्राथमिकता आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धितयों को दी जानी चाहिए थी, वह नहीं दी गई। आजादी के बाद की सरकारों की मानसिकता और प्राथमिकता दोनों ही भारतीय चिकित्सा पद्धितयों के लिए नहीं थी। इस कारण आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान की अन्य विधाएं विकसित नहीं हो पाई। शेखावत ने कहा कि अब यह समय की मांग है कि भारत की महत्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है कि यह अस्पताल भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना योगदान दे सकेगा।

'भगवान धरणीधर के दिखाए रास्ते पर चलकर समृद्धि ला रहा है धाकड़ समाज'

मांडकला गांव में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए स्पीकर बिरला

चौरु, उनियारा, नगरफोर्ट, (निसं)। छोटा पुष्कर कहे जाने वाले टोंक जिले के मांडकला गांव में सोमवार को धर्म और आध्यात्म की सरिता प्रवाहमान हुई। भगवान धरणीधर की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशाल जनसमुदाय उमड़ा। कार्यक्रम के दौरान भगवान धरणीधर को नमन करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनके शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए धाकड़ समाज सेवा और कल्याण के पथ को समृद्ध कर रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ समाजसेविका साधना सिंह, धाकड़ समाज के अध्यक्ष तथा सांसद रोड़ूमल नागर, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भगवान धरणीधर के प्राण प्रतिष्ठ समारोह में भाग लिया। इसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि समाजबंधुओं के सामूहिक प्रयासों से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है जो भारतीय संस्कृति के साथ आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है।

कार्यक्रम में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि भगवान धरणीधर ने विश्व के कल्याण और मानव के उत्थान के कार्यों को नई दिशा दी। उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए "धरतीपुत्र" धाकड़ समाज, देश के अन्न भण्डार भरने, हरित भारत के निर्माण करने तथा सीमाओं की रक्षा में अग्रणी योगदान दे रहा है। बिरला ने कहा कि धाकड़ समाज के लोगों ने मेहनत और परिश्रम के साथ सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व में अपना मुकाम बनाया है। समाज के लोग जहां भी रहते हैं सेवा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करते हुए अन्य किसानों का मार्गदर्शन करने में भी धाकड़ समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह मंदिर अब धाकड़ समाज ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए उन्हें देश के प्रति सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की प्रेरणा बनेगा।

प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मध्यप्रदेश का मामा, राजस्थान का भी मामा है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण समिति व आयोजन समिति ने मंदिर नहीं श्रद्धा का मंदिर बनाया है। धाकड़ समाज के आराध्य देव भगवान धरणीधर महाराज शेषनाग के अवतार हैं। धाकड़ समाज के आराध्य देव हैं गणेश भगवान का शस्त्र हाल है । इसी प्रकार उन्हें हलदर कहा जाता है। उन्हें की प्रेरणा से धाकड़ छत्रिय कहलाते हैं। जब देश को जरूरत पड़ते हैं तो धाकड़ समाज हल चलाकर अन्य पैदा कर देश का अन्न भंडार भरते हैं । आजादी की लड़ाई में भी धाकड़ समाज का भरपूर सहयोग रहा है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	27879145 एवं 27927110	गृह ऋण	1. दीपेन्द्र कुमार 2. पतासी देवी	26.04.2023	23,47,935.05/-	फ्लैट नं. 2 (यूनिय नं. एफ-2), क्षेत्रफल 950 वर्गफिट, पहली मंजिल, "विनायक रेजीडेन्सी" प्लाट नं. 99, स्कीम शिव विहार-ए वी, ग्राम लालारपुरा, गाँधी पथ पश्चिम, जयपुर, राजस्थान-302021 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है-पूर्व-प्लाट नं. 96, पश्चिम-प्लाट नं. 100, उत्तर-रोड 30 फिट चौडी, दक्षिण-अन्य भूमि
2	37370467	सम्पत्ति पर ऋण	1. जितेन्द्र वशिष्ठ 2. सुरेन्द्र कुमार शर्मा 3. कुर्तीवालाज	29.04.2023	23,59,093.28/-	प्लाट नं. 24ए एवं 28ए का पूरा व प्रत्येक भाग, प्लाट नं. 24ए क्षेत्रफल 71.84 वर्गगज, प्लाट नं. 28ए क्षेत्रफल 53.12 वर्ग, कुल क्षेत्रफल 1124.64 वर्ग फिट अथवा 124.96 वर्गगज, गणेश नगर-।।, मुरलीपुरा स्कीम के पास, जयपुर, राजस्थान-302039 और सीमाये है- प्लाट नं. 24ए, पूर्व-अन्य सम्पत्ति, पश्चिम-आम रास्ता 30 फिट चौड़ा, उत्तर-प्लाट नं. 24, दक्षिण-अन्य सम्पत्ति, प्लाट नं. 28ए, पूर्व-अन्य सम्पत्ति, पश्चिम-प्लाट नं. 28, उत्तर-आम रास्ता 30 फिट चौड़ा, दक्षिण-प्लाट नं. 85

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

दिनांक- 09.05.2023 ह./-

स्थान- जयपुर प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)